प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2307/2007

याचिकाकर्ता — माहेश्वरी और कंपनी

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2307/2007

याचिकाकर्ता — माहेश्वरी और कंपनी

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

(एकल पीठ : माननीय श्रीमान सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री सुनील ओटवानी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 4 अक्टूबर , 2007 को पारित)

1. इस याचिका में चुनौती मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिरगाँव, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 30-11-2005 के सूचना पत्र (अनुलग्नक पी/1) और दिनांक 16-03-2007 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/2) को दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को संपत्ति कर जमा करने का निर्देश दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता 1972 से बिरगाँव, रायपुर में एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन में संलग्न है। नगर पालिका परिषद, बिरगाँव का अस्तित्व वर्ष 2004 में आया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने ₹21,152/- जमा

किए। दिनांक 17-01-2006 को वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए ₹74,431/- के संपत्ति कर के भुगतान हेतु याचिकाकर्ता को एक सूचना पत्र जारी किया गया। स्व-मूल्यांकन चार्ट की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने चेक क्रमांक 312254 के माध्यम से ₹21,152/- का भुगतान किया, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में भुगतान किया गया था। उत्तरवादी परिषद ने दिनांक 03-05-2006 के पत्र (अनुलग्नक पी/12) द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम, 1961") के प्रावधानों के अनुसार, अधिसूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता को संपत्ति कर की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने कई पत्राचार किए, लेकिन उसे उत्तरवादी परिषद से कोई जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने दिनांक 24-06-2006 को उत्तरवादी परिषद को एक सूचना पत्र (अनुलग्नक पी/14) भेजा। उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति के बाद, उत्तरवादी परिषद ने याचिकाकर्ता को ₹47,832/- के संपत्ति कर का भुगतान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, मूल्यांकन उत्तरवादियों द्वारा उनकी मनमर्जी से किया गया है। पुनः दिनांक 16-03-2007 के पत्र (अनुलग्नक पी/2) द्वारा याचिकाकर्ता को अवैध और मनमाने ढंग से ₹55,027/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार, यह याचिका दायर की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री ओटवानी ने यह तर्क किया कि उत्तरवादी परिषद के पास संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिए कोई समान नीति नहीं है। उत्तरवादी प्राधिकारी अवैध और मनमाने ढंग से तथा अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के प्रतिकूल संपत्ति कर प्रभारित कर रहे हैं। श्री ओटवानी ने यह भी तर्क किया कि संपत्ति कर के उद्ग्रहण और अधिरोपण से पहले की प्रक्रिया, अधिनियम, 1961 की धारा 136, 137 और 138 में विहित की गई है। उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों का

अनुपालन न करना मूल्यांकन और उस पर पारित आदेश को शून्य कर देता है इसलिए, आक्षेपित सूचना पत्रों को अभिखंडित किया जा सकता है।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री शर्मा ने यह तर्क किया कि जब याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए नई दरों के अनुसार संपत्ति कर जमा नहीं किया, तो ₹47,832/- के भुगतान के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने केवल ₹21,152/- का भुगतान किया। याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद, आक्षेपित सूचना पत्र जारी किया गया था। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता ने वार्षिक किराया मूल्य में वृद्धि के सूचना पत्र को भी चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता संपत्ति कर का भुगतान करने में व्यतिक्रमी है। इसलिए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है और याचिका को खारिज किया जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री ठाकुर, ने उत्तरवादी क्रमांक 2/नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क को अंगीकृत किया है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, और अभिवचनों तथा उनके साथ उपाबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. दिनांक 30-11-2005 का सूचना पत्र (अनुलग्नक पी/1) नगर पालिका परिषद, बिरगाँव द्वारा अपने दिनांक 18-10-2005 के संकल्प में यथा-संकल्पित संपत्ति कर की दर को विनिर्दिष्ट करता है। उत्तरवादी नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा 'नव भारत' समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 2-12-2005 के सूचना पत्र (अनुलग्नक आर2/1) पर अवलंबन, कहीं भी यह इंगित नहीं करता है कि जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं। यह केवल संकल्प द्वारा अवधारित दर को विनिर्दिष्ट करता है और उसके बाद दिनांक 28-2-2006 से पहले और उसके बाद दिनांक 31-3-

2006 तक 5% अधिभार के साथ भुगतान करने का निर्देश देता है। सूचना पत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि अधिनियम, 1961 की धारा 137 और 138 के प्रावधानों के तहत यथा-अपेक्षित, यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। दूसरा आक्षेपित ज्ञापन दिनांक 16-3-2007 (उपाबंध पी/2) याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1961 की धारा 138 के प्रावधानों के तहत यथा-अपेक्षित, आपत्तियाँ आमंत्रित किए बिना राशि जमा करने का निर्देश देता है।

8. अधिनियम, 1961 की धारा 136, 137 और 138 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"**136. निर्धारण सूची की सूचना का प्रकाशन** – जब निर्धारण सूची पूरी हो गई हो, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसकी सार्वजनिक सूचना देगा; और उस स्थान की भी सूचना देगा जहाँ सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है; और सूची में शामिल संपत्ति का स्वामी या अधिष्ठाता होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति का उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता बिना किसी शुल्क के उस सूची का निरीक्षण कर सकेगा और उससे उद्धरण ले सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

137. आपत्ति दर्ज करने के लिए नियत समय की सार्वजनिक सूचना – (1) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, धारा 136 के तहत निर्धारण सूची के प्रकाशन के समय, एक तारीख की सार्वजनिक सूचना देगा जो ऐसी सूचना के प्रकाशन से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, जिसके द्वारा ऐसी सूची में मूल्यांकन या निर्धारण के प्रति आपत्तियाँ उसके कार्यालय में परिदत्त की जा सकेंगी।

(2) मुख्य नगर पालिका अधिकारी उन सभी मामलों में, जिनमें संपत्ति का पहली बार निर्धारण किया गया है या संपत्ति के मूल्यांकन में

वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्धारण में वृद्धि हुई है, यदि ज्ञात हो तो संपत्ति वे स्वामी या अधिभोगी को उसकी विशेष सूचना देगा, और यदि संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी ज्ञात न हो, तो ऐसी सूचना को संपत्ति पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाना सुनिश्चित करेगा।

(3) इस अध्याय के तहत किए गए मूल्यांकन या निर्धारण से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (1) या (2) में संदर्भित सार्वजनिक सूचना में इस निमित्त नियत किए गए प्रथम दिन को या उससे पहले नगरपालिका कार्यालय में ऐसे मूल्यांकन या निर्धारण के आधारों को बताते हुए एक आपत्ति दर्ज कर सकता है।

138. मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आपत्तियों का अन्वेषण – (1) ऐसी सभी आपत्तियों को इस प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और, किसी आपत्ति की प्राप्ति पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपत्तिकर्ता को उस समय और स्थान की लिखित सूचना देगा जिस पर उसकी आपत्ति का अन्वेषण किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस प्रकार नियत किए गए समय और स्थान पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपत्तिकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की उपस्थिति में, यदि वह उपस्थित होता है, तो आपत्ति को सुनेगा, या उचित कारण के लिए अन्वेषण को स्थगित कर सकता है।

(3) जब आपत्ति का अवधारण हो गया हो, तो ऐसी आपत्ति पर पारित आदेश को उक्त रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो आपत्ति के परिणाम के अनुसार निर्धारण सूची में संशोधन किया जाएगा।

(4) यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपत्ति दर्ज होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आपत्ति का अवधारण करने में विफल रहता है, तो यह समझा जाएगा कि इस प्रकार दर्ज की गई आपत्ति अस्वीकृत कर दी गई है और आपत्तिकर्ता अधिनियम की धारा 139 के तहत अपील प्रस्तुत कर सकता है।"

9. अधिनियम, 1961 की योजना, और विधायिका के आशय के अवलोकन पर, मैं यह पाता हूँ कि अधिनियम, 1961 की धारा 137 और 138 के प्रावधान आज्ञापक हैं। वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी यह स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं कि संपत्ति कर अवधारित करने वाले दिनांक 16-3-2007 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/2) को जारी करने से पहले, याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी और अधिनियम, 1961 की धारा 138 के प्रावधानों के तहत यथा-अपेक्षित, आपत्ति दर्ज करने के लिए आहूत किया गया था। अधिनियम, 1961 की धारा 137 और 138 में समाविष्ट प्रक्रियात्मक प्रावधान आज्ञापक हैं और वे संपत्ति कर के अवधारण और अधिरोपण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। उनका अनुपालन न करना आगामी आदेश को शून्य कर देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह सुस्थापित है कि सांविधिक प्रक्रियात्मक पहलू के प्रयोग से संबंधित एक अभिव्यक्त शर्त एक निषेध अन्तर्हित कर सकती है, यदि आगामी आदेश अभिव्यक्त या अंतर्निहित प्रक्रियात्मक शर्तों के उल्लंघन में पारित किया गया है और आदेश अवैध होगा।

11. प्रोफेसर वेड निम्नानुसार इंगित करते हैं:

"प्रक्रियात्मक संरक्षण, जो अक्सर प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग से प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिरोपित किए जाते हैं, को सामान्यतः आज्ञापक माना जाता है, ताकि उन्हें अनदेखा करना घातक हो। जहाँ प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श करने का एक कानूनी कर्तव्य है, वहाँ

इसे वास्तव में किया जाना चाहिए, और टिप्पणी के लिए उचित अवस
दिया जाना चाहिए।"

12. वर्तमान प्रकरण में, यह अविवादित है कि उत्तरवादी नगर पालिका परिषद वर्ष 2004 में अस्तित्व में आई थी और परिषद को कर निर्धारण की दर या संपत्ति कर के अधिरोपण से पहले आज्ञापक कानूनी उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए था।

13. उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित ज्ञापन दिनांक 16-3-2007 (अनुलग्नक पी/2) को अभिखंडित किया जाता है। दिनांक 30-11-2005 के सूचना पत्र (अनुलग्नक पी/1) को अभिखंडित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह पहले ही प्रकाशित हो चुका है।

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपरोक्त परिमाण तक स्वीकार की जाती है। हालाँकि, उत्तरवादी नगर पालिका परिषद को विधि के अनुसार, जिस तारीख से संपत्ति कर देय हुआ है, उस तारीख से संपत्ति कर के अवधारण, निर्धारण, अधिरोपण और उद्ग्रहण के लिए नई प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वतंत्रता दी की जाती है, यदि वह ऐसा उचित समझे।

15. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Malay Jain